प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25 / 2012–13 / 797-75  दिनांक: 23.07.2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट के पुनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

एन0आर0एच0एम0 डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 10(30) / 2012 / एनआरएचएम–1 दिनांक 16.07.2012 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष (Co-location of AYUSH Facilities at District Level Hospitals & Block Level CHC/PHC) हेतु वर्ष 2012–13 में 1203 आयुष चिकित्सक (पुरूष), 841 आयुष चिकित्सक (महिला) एवं 759 आयुष फार्मासिस्ट को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

2. वित्तीय वर्ष 2011–12 में मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष के अन्तर्गत जनपदों में संविदा पर अनुबन्धित आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट के वित्तीय वर्ष 2012–13 में 31 मार्च 2013 तक पुनर्अनुबन्धित किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है–

अ–आयुष चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता उनकी पैथी के अनुसार चिकित्साधिकारी पद पर शासकीय सेवा में नियुक्त किए जाने के अनुरुप हो। सम्बन्धित शासनादेश आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथ निदेशालय अथवा जिला होम्योपैथिक अधिकारी, जिला आयुर्वेद / यूनानी चिकित्साधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

ब–आयुष सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, आयुर्वेद, यूनानी तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड / उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया हो। सम्बन्धित विषय में जानकारी आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथ निदेशालय अथवा जिला होम्योपैथिक अधिकारी, जिला आयुर्वेद / यूनानी चिकित्साधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

स–वर्ष 2011–12 में उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य मूल्यांकन संतोषजनक हो। मूल्यांकन प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

3. संविदा पर अनुबन्धित किए जा रहे आयुष चिकित्सक (पुरूष) / आयुष चिकित्सक (महिला) / आयुष फार्मासिस्ट के अनुबन्ध के साथ पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि जनपद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में विभिन्न जनपदों में पदों के अनुमोदन तथा कार्य आवश्यकता के सापेक्ष अनुबन्धित किए गए आयुष चिकित्सक (पुरूष) / आयुष चिकित्सक (महिला) / आयुष फार्मासिस्ट की संख्या अधिक होने की स्थिति में उन्हें उन समीपवर्ती पड़ोसी जनपदों में समायोजित किया जाएगा जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पदों के अनुमोदन तथा कार्य आवश्यकता के सापेक्ष स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सभी आयुष चिकित्सक (पुरूष) / आयुष चिकित्सक (महिला) / आयुष फ़ार्मासिस्ट से उनके गृह जनपद के अतिरिक्त तीन पड़ोसी / समीपवर्ती अन्य जनपदों का विकल्प भी लिया जाएगा तथा यथासम्भव उन्हें उसी जनपद जहाँ विगत वित्तीय वर्ष में कार्यरत् रहा अथवा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के जनपदों में समायोजित किया जाएगा।

4. प्रत्येक जनपद में संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट को पदस्थ किए जाने में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का यथासम्भव अनुपालन किया जाए।

---2

5. आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला)/आयुष फार्मासिस्ट के अनुबन्ध के पश्चात् वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अलग से समायोजन एवं तद्सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किया जाएगा।

6. संविदा पर अनुबन्धित किए जा रहे आयुष चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 में योगदान/कार्य प्रारम्भ की तिथि से किया जाएगा।

7. अनुबन्धित किए गए आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट को कार्य स्थल का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा–

- **आयुष चिकित्सक (पुरूष)** के नियुक्ति हेतु कार्य स्थल का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर निम्नवत् किया जाएगा–
  - अ. जनपद चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय– एक–एक चिकित्सक आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी पद्धति।
  - ब. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– एक चिकित्सक आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति।
  - स. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–(ब्लाक स्तरीय) एक चिकित्सक आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति।
- **आयुष चिकित्सा (महिला)**– 24 X 7 प्रसव केन्द्र पर एक चिकित्सक (महिला) आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति।
- **आयुष फार्मासिस्ट**– जनपद चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पद्धति एवं आवश्यकतानुरूप।

8. संविदा पर अनुबन्धित किए जा रहे आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट के कार्य–स्थल एवं कार्य का निर्धारण तथा उनके कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा–

1) मुख्य चिकित्साधिकारी–सदस्य सचिव
2) जिला होम्योपैथिक अधिकारी–सदस्य
3) जिला आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारी–सदस्य
4) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0–सदस्य

9. मूल्यांकन में असंतोषजनक पाए जाने वाले आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एक माह में कार्य सुधार की लिखित चेतावनी दी जाएगी तथा कार्य में सुधार न होने की स्थिति में अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा।

10. अनुबन्धित किए गए आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला)/आयुष फार्मासिस्ट के अनुबन्ध के पश्चात् मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने एवं भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त मानदेय की धनराशि जनपदों को प्रेषित की जाएगी।

11. उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करते हुए आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट के अनुबन्ध का आदेश निर्गत कर दिए जाए तथा उक्त की प्रति फैक्स संख्या 0522–2237574, ई–मेल mdupnrhm@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करने के साथ विशेष पत्रवाहक द्वारा भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

12. अनुबन्धित किए गए आयुष चिकित्सक (पुरूष), आयुष चिकित्सक (महिला) एवं आयुष फार्मासिस्ट की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर फैक्स संख्या 0522–2237574 पर तथा उक्त की स्कैन्ड प्रति ई–मेल mdupnrhm@gmail.com पर अनुबन्ध किए जाने के पश्चात् तत्काल प्रेषित करने के साथ विशेष पत्रवाहक द्वारा भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए, जिससे भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उसे अपलोड किया जा सके–

| क्र0 सं0 | अनुबन्धित कर्मी का नाम | स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल | पद नाम | शैक्षिक योग्यता | शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम, जनपद एवं राज्य सहित | अनुबन्ध का दिनांक | कार्य स्थल | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

11. चूँकि यह विधिक प्रकरण भी है अतः समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

23/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/2012–13/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कृपया पत्र की प्रतिलिपि एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in से डाउनलोड कर मण्डलायुक्त एवं सम्बन्धित जिलाधिकरियों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष

# संविदा कर्मी की समीक्षा प्रगति (वर्ष 2011–12) रिपोर्ट प्रपत्र

1. नाम ..................................................................................................................
2. रिपोर्ट अवधिः कब से.............................................कब तक.......................................................
3. संविदा कर्मी का पदनाम..............................................तैनाती का स्थान.......................................
4. अधिकारी का नाम /पदनाम जिसके अधीन कार्यरत है.........................................................................
5. संविदा अवधि के दौरान सौंपे गये कार्य एवं दायित्व.............................................................................

.......................................................................................................................................

| मूल्यांकन के बिन्दु | अंक मूल्यांकन अधिकतम 10 अंक तक |
|---|---|
| 1. सामान्य बुद्धिमत्ता (General Intelligence) | |
| 2. दिये गये कार्यो को समझने की क्षमता | |
| 3. समय से कार्य निष्पादित करने की दक्षता | |
| 4. प्रशासनिक/तकनीकी योग्यता | |
| 5. विशिष्ट कौशल | |
| 6. फील्ड कार्य हेतु दक्षता ( Fitness for field work ) | |
| 7. सहकमियों एवं जनता से व्यवहार | |
| 8. अन्य उत्कृष्ट कार्य (यदि कोई हो) | |
| 9. सामान्य स्वास्थ्य | |
| 10. सम्बन्धित रिपोर्ट समय से प्रेषित करना | |
| कुल योग | |
| प्रतिशत | |

6. मूल्यांकन a. असंतोषजनक b. उत्तम c. अतिउत्तम
7. आगामी वर्ष 2012–13 हेतु संविदा विस्तार प्रस्तावित हॉ/नहीं..............................................
8. यदि नहीं तो विस्तृत कारण.........................................................................................

.......................................................................................................................................

दिनांक........................ हस्ताक्षर नाम एवं पद नाम रिपोर्टिगं अधिकारी

स्थान.........................

स्वीकृति अधिकारी का निर्णय ................................................................................................

हस्ताक्षर, नाम एवं पद नाम समीक्षा/स्वीकृति अधिकारी

टिप्पणीः– तालिका में 1से 10 तक के बिन्दुओं में संविदा कर्मी का मूल्यांकन। प्रत्येक बिन्दु पर 10 अंक के आधार पर आंकलन किया जाय। कम संख्या 1से 10 पर दिये गये अंक के योग के 80 प्रतिशत वाले कर्मी को अति उत्तम, 75 से 80 अंक वाले कर्मी को उत्तम दिया जाय। केवल उत्तम एवं अति उत्तम संविदा कर्मी का पुनर्अनुबंध किया जाय।

# CONTRACT

Contract between the CMO...........and .................... (Name) ............. R/o ............. (Address)............... Who is assigned as .....(Post)................ on contract basis.

The contract is entered between the CMO ...........on one part and ........ (Name) ............. R/o ............ (Address)..............., on the other, wereby CMO .................agrees to assign........ (Name) ............. R/o ............ (Address)..............., the post of ..........(Post).......... On contract basis and not on service basis. .............(Name)....... R/o................, agrees to execute the tasks assigned as per the following terms and conditions.

1. This appointment is purely on contract basis for project purpose.
2. This project is funded by the Government of India for a specific period.
3. His/her appointment is from ..................to 31st March, 2013.
4. He/She will not be entitled for any dreaminess Allowance, House Rent allowance etc over and above the fixed remuneration.
5. Be it clearly understood and agreed that his/her assignment is being made on contract basis for a fixed period as stand above. His/Her assignment will automatically come to an end on the expiry of the specified period and no notice or notice pay, retrenchment compensation will be payable to him/her by the society. The service are, however, liable to be terminated by the society before the expiry of the specified period of his/her assignment with immediate effect on the following grounds:-
   a. The breach of terms and conditions by him/her.
   b. Discontinuation of financial assistance from Government of India to State Health Society, Uttar Pradesh.
   c. Directions issued by Government of India.
   d. On grounds of punctuality, discipline, performance or conviction for offence involving moral turpitude.
6. Since his/her appointment is being made for a specified period he/she will neither have any right nor a lien on the post held by him/her. Also he/she will not claim regular employment even if there is such a vacancy for the post held by him. Otherwise if he/she wants to leave the service, he/she can do this by serving one month notice or salary of one month if one month notice is not served. No compensation or remuneration of un-expired period of contract will be payable by the society if his/her services are terminated

or he/she resign from the services of the society before the specified period of the contract.

7. He/She will not divert of give out to any manner particulars or details of any of the project or operations carried out by society which are of confidential nature.
8. His/Her assignment is made on the basis of his/her particulars such as qualification etc. As given in his/her application and in case any information is given by him/her is found false of incorrect, his/her appointment will be deemed void and liable to termination, without any notice/salary in lien of notice or any reason thereof.
9. He/She will be bound by the rules, regulations and office orders in force and framed by the society from time to time and the same will from part of his/her terms and conditions of employment with the society as and when made effective.
10. His/Her continuance in service with the society is subject to His/Her remaining physically and mentally fit.
11. His/Her working hours will be generally from - - - a.m. to - - - p.m. on all working days of every month. This timing can however, be changed as per the requirement of the society.
12. He/She will be allowed to enjoy public Holidays declared from time to time by the Govt. in addition to weekly Holidays. He/She will be entitled to get 14 (Fourteen) days casual leave in one year contract. Any other kind of leave is not admissible to Him/Her during this tenure of contract. The leave as provided above will be available proportionately according to his appointment.
13. He/She will discharge His/Her duties efficiently to the satisfaction of the Controlling Officer.
14. As salary and the full remuneration of (NAME)-----------------------------------R/O------- ---------------------------------------------------------------------------------------------will be paid at the rate of Rs-----------------------/- Per month all inclusive and no other allowances such as Dearness allowances will be admissible.
15. He/She will not initiate any legal proceedings against the society.
16. He/She will provide his/her services to the society in legal matter or the matter of audit purpose related to his/her job responsibilities as and when required after leaving/resigning the job in the society.
17. It will be his/her personal responsibility to return all the advances and material made available by society to discharge the duties.
18. He/She will not be allowed to contest any type of election during contract period.

If the above terms and conditions are acceptable to you, please sign the accompanied office copy in token and acceptance and return the same for the office record.

CMO

Place: ....................

Date: ....................

District ....................

I accept the offer and terms and conditions mentioned in the letter.

Signature:......................

Name:.........................

Address:........................

...................................

Tel.No.........................

Signature, Name and Address of two witnesses

1) ..............................    ......................................

2) ..............................    ......................................

To,

....................................

Copy to Mission Director, National Rural Health Mission, Uttar Pradesh.